भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2177

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी)

2177 श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या सहित इन अदालतों की उपलब्धियां क्या हैं ;

(घ) प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले आंध्र प्रदेश में कार्यरत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की संख्या कितनी है ; और

(ङ) राज्य में शेष फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की स्थापना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : राज्य और संघ राज्यक्षेत्र वार देश में कार्य कर रहें त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससीएस) की संख्या के ब्यौरे और पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए हैं ।

(ग) : राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा संचालित किए गए तृतीय पक्ष मुल्यांकन के अनुसार अनन्य रूप से पाक्सो के 17.64 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि रिपोर्ट की

गई है । त्वरित निपटान न्यायालयों में जून, 2022 तक 1 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे **उपाबंध-2** पर दिए गए हैं ।

(घ) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य के लिए निश्चित किए गए 18 त्वरित निपटान न्यायालयों में से 12 त्वरित निपटान न्यायालय तारीख 30 जून, 2022 तक राज्य में कार्यरत हैं ।

(ङ) : नियमित पुनर्विलोकन बैठकें योजना के शीघ्र और संतुलित कार्यान्वयन के लिए, जिसमें शेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना शामिल है, न्याय विभाग द्वारा संचालित की गई हैं । अंतिम पुनर्विलोकन बैठक सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ तारीख 25 जुलाई, 2022 से तारीख 29 जुलाई, 2022 के बीच संचालित की गई थी । इसके अतिरिक्त, शेष त्वरित निपटान न्यायालयों के परिचालन के लिए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखे गए हैं ।

****

उपाबंध-1

(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससीएस) के ब्यौरे और त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए जारी की गई निधियों के ब्यौरे ।

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	30.06.2022 तक कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	2019-20 में जारी निधि	2020-21मे जारी निधि	2021-22में जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	12	1.8	0	0
2	असम	17	2.85625	1.86875	3.375
3	बिहार	45	2.025	15.26255	20.25
4	चंड़ीगढ*	01	0.1875	0	0
5	छत्तीसगढ	15	3.375	3.375	4.259
6	दिल्ली	16	3.6	0	0
7	गोवा	01	0.225	0	0
8	गुजरात	35	7.875	7.875	0
9	हरियाणा	16	3.6	3.6	3.6
10	हिमाचल प्रदेश	06	1.0125	1.51875	0
11	जम्मू-कश्मीर	04	0.5625	0	2.635
12	झारखंड़	22	4.95	4.95	0
13	कर्नाटक	25	6.975	0	6.635
14	केरल	28	8.4	0	0
15	मध्य प्रदेश	67	15.075	15.0750	26.175
16	महाराष्ट्र	39	31.05	0	0
17	मणिपुर	02	0.675	0.675	0.3375
18	मेघालय	05	1.6875	0	0
19	मिज़ोरम	03	1.0125	1.0125	2.02625
20	नागालैंड़	01	0.3375	0.3375	0
21	ओडिशा	36	5.4	1.3	16.2
22	पुदुचेरी**	0	0	0	0.1125
23	पंजाब	12	2.7	0	0
24	राजस्थान	45	5.85	14.4	19.745
25	तमिलनाडू	14	3.15	3.15	2.59
26	तेलंगाना	36	8.1	0	0
27	त्रिपुरा	03	1.0125	1.0125	0
28	उत्तर प्रदेश	218	13.80625	84.29375	24.525
29	उत्तराखंड़	04	2.7	0	2.092
	एनपीसी(तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए)	-	-	0.293702	-
कुल		**728**	**140**	**160**	**134.557**

*संघ राज्य क्षेत्र ने निर्देशित किया है कि एफटीएससी के अधीन कोई निधि अपेक्षित नहीं है ।

**संघ राज्यक्षेत्र जो 2022 की शुरुआत में स्कीम का हिस्सा बन गए ।

उपाबंध-2

गत तीन वर्षों (लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -वार) के लिए त्वरित विशेष न्यायालयों की प्रास्थिति ।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**		
		31.12.2020 तक त्वरित निपटान न्यायालयों की सं.	**31.12.2020** तक लंबित मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	**31.12.2021** तक त्वरित निपटान न्यायालयों की सं.	**31.12.2021** तक लंबित मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	**31.06.2022** तक त्वरित निपटान न्यायालयों की सं.	**31.06.2022** तक लंबित मामले	**वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले (जून 2022 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	8	3980	127	10	5483	296	12	6285	816
2	असम	7	1211	36	15	3023	818	17	3811	1574
3	बिहार	45	12132	492	45	14002	2127	45	14528	3482
4	चंडीगढ	1	176	2	1	235	19	1	236	48
5	छत्तीसगढ	15	2721	162	15	2674	1694	15	2655	2239
6	दिल्ली	0	0	0	16	4410	195	16	4600	475
7	गुजरात	35	5236	888	35	5632	2485	35	5009	4366
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	01	62	10
9	हरियाणा	16	3334	130	16	4373	1373	16	4187	2054
10	हिमाचल	3	462	40	6	961	148	6	982	300
11	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	4	390	49	4	408	75
12	झारखंड	20	3401	463	22	5380	1330	22	4563	2528
13	कर्नाटक	14	2729	268	18	3962	1760	25	5260	3368
14	केरल	23	4629	257	28	7653	3478	28	6793	6249
15	मध्य प्रदेश	66	11196	3422	67	14139	7944	67	13603	11088
16	महाराष्ट्र	25	5624	1270	34	7445	4489	39	8069	7437
17	मणिपुर	0	0	0	2	171	19	2	136	55
18	मेघालय	0	0	0	5	946	71	5	1013	115
19	मिज़ोरम	0	0	0	3	40	47	3	63	72
20	नागालैंड	0	0	0	1	96	39	1	52	44
21	ओडिशा	15	6119	240	36	10613	2563	36	9800	4430
22	पंजाब	3	440	537	12	2009	964	12	1588	1370
23	राजस्थान	45	7938	1421	45	7581	4775	45	7261	6705
24	तमिलनाडू	14	4230	506	14	4684	1703	14	5375	2444
25	तेलंगाना	19	2864	481	25	5031	2979	36	6993	4842
26	त्रिपुरा	3	285	17	3	323	94	3	333	139
27	उत्तर प्रदेश	218	79468	26318	218	72924	31562	218	75069	35271
28	उत्तराखंड	4	668	80	4	763	606	4	820	748
	कुल	**599**	**158843**	**37148**	**700**	**184943**	**73627**	**728**	**189554**	**102344**

****